लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, प्रो0– श्रीमति निशा कुमारी, पिता–स्व0 चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, ग्राम–शिव भवानी लेन, रांची विश्वविद्यालय, जिला–रांची के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक–02 बालू घाट, मौजा–महगाओं, प्रखंड–सोनो, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 06.10.2023 को अपराहन 12:00 बजे प्रखंड कृषि सभागार, सोनो, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2293/2023, दिनांक 14.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"दैनिक जागरण" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **03.09.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक–02 बालू घाट, मौजा–महगाओं, प्रखंड–सोनो, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा प्रो0–श्रीमति निशा कुमारी को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–02 में 6.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 88770.4 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹53.72 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–02 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नही किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षो तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री सुधीर कुमार सिंह, पूर्व मुखिया, पैरमटियाना, सोनो, श्री पप्पू सिंह महगाओं, श्री मनोज सिंह के द्वारा परियोजना का समर्थन किया गया।	
2.	श्री मुन्ना सिंह सोनो, जमुई के द्वारा पुछा गया कि क्या बालू के उठाव से पुल प्रभावित होगा या नहीं तथा पुल से कितनी दूर पर बालू का उठाव किया जायेगा। बालू का उठाव कितना होगा और कैसे किया जायेगा।	पुल या अन्य सिविल संरचना से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी पर खनन कार्य होना है। बालू का उठाव अर्ध–मशीनीकृत विधि से किया जायेगा। उत्खनन जेसीबी ट्रक/ट्रैक्टर संयोजन या मैन्युअल विधि से किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रस्ताव है। बारिश के पश्चात नदीयों में पुनर्भरण होने से गड्ढा भर जाते हैं।
3.	श्री डी0एन0 सिंह, महगाओं, जमुई के द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व में अधिक गहराई तक खनन किया गया है जिससे भू–जल स्तर नीचे चला गया है। उनके द्वारा अवैध खनन न हो उसे सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया साथ ही निजी जमीन पर खनन कार्य होने पर क्या कारवाई की जाय इसकी सूचना मांगी गई।	पूर्व की परियोजनाओं में 3 मीटर तक खनन की अनुमति थी। वर्तमान प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। रैयती जमीन में खनन होने पर जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को सूचित किया जा सकता है जिसपर वांछित कारवाई की जायेगी।
4.	श्री मुन्ना अंसारी, ग्राम–पैरवाजन, सोनो, जमुई के द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप खनन किये जाने का अनुरोध किया गया।	खनन विभाग एवं अन्य प्राधिकारों से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही खनन की कारवाई की जायेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

6-10-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

6/10/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, प्रो०-निशा कुमारी, पिता-स्व० चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, ग्राम-शिव भवानी लेन, रांची विश्वविद्यालय, जिला-रांची द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-02 बालू घाट, मौजा-महगाओं, ब्लॉक-सोनो, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 06.10.2023 को पूर्वाहन् 12:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार सोनो, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Autar Ram	Adm (PGR) cum DPGRO Jamui	[signature] 6/10/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Poll. Control Board	[signature] 6-10-2023
3.	[signature]	Mines Inspector, Jamui	[signature] 6/10/2023.
4.	Amish Kumar	ASO, BSPCB, Bhagalpur	[signature] 06/10/2023
5.	Rajesh Kumar Vishwas	Environment Consultant P&M Solution (Noida)	[signature]
6.	Md Shamim	BSPCB. Patna	[signature]
7.	~~[illegible]~~	~~शिव भवन लेन, [illegible]~~	[signature]
8.	शिवशंकर सिंह	RPS more Danapur Patna	[signature]
9.	गोपाल सिंह	सदर भोजपुर	[signature]
10.	कुणाल सिंह	पटना	[signature]

11.	[illegible]	[illegible] सोनो	[illegible]
12.	मुन्ना कुमार सिंह	[illegible] सोनो	Munna kr singh
13.	कपिलदेव सिंह	अरजपुर सोनो	[illegible]
14.	रामदेव साव	अरजपुर सोनो	[illegible]
15.	[illegible] कुमार सिंह	सोनो	[illegible]
16.	GOLU	[illegible]	SK
17.	अरविन्द कु० सिंह	[illegible]	Singh
18.	Jitendra kr singh	Mandar	J singh
19.	मनोज सिंह	गन्दर	गन्दर
20.	विपीन सिंह	गन्दर	विपीन सिंह
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	विकास सिंह	सोनो	[illegible]
23.	Ranjan Singh	Sono	Ranjan Singh
24.	Sikash singh	Gandar	SK singh
25.	Abhay kumar	महगाओ	Abhay kumar

26.	पिंटू कुमार	महुगाओं	पिंटू कुमार
27.	राजीव कुमार	महुगाओं	राजीव कुमार
28.	अशोक कुमार	महुगाओं	अशोक कुमार
29.	पिन्टू कुमार	महुगाओं	Pintu
30.	Udaykumar	Mahgaon	[illegible]
31.	संतोष कुमार	महुगाओं	Santosh
32.	[illegible]	महुगांव	[illegible]
33.	शीलता सिंह	महुगांव	शीलता सिंह
34.	रंजीत कु सिंह	महुगांव	R.K. Singh
35.	सुमीत कुमार	महुगांव	Sumitkumar
36.	लक्ष्मण कुमार	महुगांव	[illegible]
37.	कुमुदरंजन	महुगांव	[illegible]
38.	राजेश सिंह	महुगांव	[illegible]
39.	जीतू सिंह दिनेश कुमार	महुगांव महगा	Jitu Singh दिनेश कुमार
40.	राज कुमार यादव पैनवारजन	[illegible]	Raj Kumar Yadav

41.	राजीव कुमार मो	माफी	राजीव कुमार मो
42.	भगत सिंह	मधुगाँव	भगत सिंह
43.	आनन्द्र कुमार सिंह	मधुगाँव	आनन्द्र कुमार सिंह
44.	Manohar Kumar	pen wasan	Manohar Kumar
45.	मुन्ना कुमार सिंह	पैन वासन	मुन्ना कुमार सिंह
46.	रोहित सिंह	मदगाऊँ	रोहित सिंह
47.	मुरलीद यादव	मदगाऊँ	मुरलीधर यादव
48.	मनीष राज	मधुगाँव	[signature]
49.	गौरव सिंह	मधुगाँव	Gaurav Kumar
50.	Brahmdev Yadav	मदगाऊँ	ब्रह्मदेव यादव
51.	शाहनवाज आलम	पैगा मोहिदिना	Shahnawaz
52.	मुन्ना अंसारी	पौन वासन	मुन्ना अंसारी
53.	टोटन	2 मील	टोटन
54.	Gori Shah	सोती	Gori Sh
55.			